न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –03/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/4

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमती भंवरी पुत्री हरदेव पत्नी पूनाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष, निवासी गोटन, तहसील मेडता जिला नागौर राज.।		1. रामदेव पुत्र आईदानराम उम्र 62 वर्ष 2. हरदेव पुत्र हीराराम उम्र 80 वर्ष जातियान जाट, निवासीगण गोटन तहसील मेडता, जिला नागौर। 3. तहसीलदार, मेडता।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री अनिल गौड़।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास, रेस्पोडेन्ट संख्या–02 की ओर से वकील श्री बाबूलाल खोजा एंव रेस्पोडेन्ट संख्या–03 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

निर्णय **दिनांक : 12-4-2021**

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम गोटन का म्यूटेशन संख्या 2349 जो तहसीलदार मेडता द्वारा दिनांक 10.01.2007 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 21.01.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने तहसील कार्यालय से नामान्तरकरण की नकल दिनांक 13.01.2021 को प्राप्त की जिससे अपील अन्दर मयाद पेश होने एंव अपीलांट ने जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं किया जिससे अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर दर्ज किये जाने एंव विलम्ब को कन्डौन फरमाने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील जानकारी से अन्दर मयाद शुमार की जाकर दर्ज फरमाने का निवेदन किया है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2018(1) पेज [illegible] से 605, आर.आर.टी.2018(1) पेज 186 से 188, आर.आर.टी.2010(1) पेज 216 से 220, आर.आर.टी.2013(1) पेज 473 से 475, आर.आर.डी. फरवरी 2005 पेज 42 से 44 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वकील श्री श्याम कुमार व्यास ने वकील अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 10.01.2007 को जारी किया गया, जिसकी जानकारी के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई कथन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:03 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

किया गया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम किस दिनांक को व किस माध्यम से हुई। अपीलांट को प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट करना आवश्यक है किन्तु अपीलांट ने अपने आवेदन में देरी को माफ किये जाने बाबत कोई ठोस आधार नहीं बताये है। अपीलांट ने 13–14 वर्ष पश्चात् उक्त अपील पेश करने का कथन करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ने अपील अपीलांट मियाद बाहर होने का कथन करते हुए मियाद प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील श्री बाबूलाल खोजा ने वकील अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया है।

वकुलाय बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली व वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई कर निर्णय किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बडे पिता का पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपीलांट का पिता है तथा हिन्दू है व हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा के बनारस स्कूल से गर्वन होते है। ग्राम गोटन की सरहद में अपीलांट के पिता की काश्त व कब्जासुद बंट का खसरा नम्बर 1944 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा बारानी 2 प्लस व खसरा नम्बर 1943 रकबा 01 बीघा बाडा कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा में सें 1/4 भाग अपीलांट के पिता का आया हुआ था, उपर्युक्त आराजी खसरा नम्बर 1994 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 1943 रकबा 01 बीघा कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा में सें 1/4 भाग का तर्कनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बाले–बाले चुपके चुपके रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को विश्वास में लेकर बिना प्रतिफल के ही अपने नाम तर्कनामा करवा लिया तथा जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को उपर्युक्त दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाये थे तो पेंशन के दस्तावेज का कहकर हस्ताक्षर करवा लिये और रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के साथ धोखा करते हुए उपर्युक्त खसरान 1/4 भूमि को बदनियतिपूर्वक अपने नाम करवा लिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को उपर्युक्त खसरान की भूमि को अपने नाम तर्क करवाने का कोई हक व अधिकार नहीं है क्योंकि उपर्युक्त खसरान की भूमि पूर्वजों की भूमि है जिसमें अपीलांट का भी हक व हिस्सा जन्म से ही निहित है और इसके [illegible] खून का रिश्ता नहीं होने के बावजूद भी तथा मात्र काका व भतीजे का रिश्ता होने से उपर्युक्त तर्कनामा कानूनी रूप से मान्य नहीं है और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को धोखे व विश्वास में लेकर के गलत रूप से भूमि का तर्कनामा करवा लिया और गलत रूप से नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया इसलिए उपर्युक्त गलत व गैर कानूनी नामान्तरण को निरस्त कराने हेतु अपीलांट द्वारा यह नामान्तरकरण अपील पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:03 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

खसरा नम्बर 1944 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा बारानी 2 प्लस व खसरा नम्बर 1943 रकबा 01 बीघा बाडा कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा में सें 1/4 भाग अपीलांट के पिता का आया हुआ था, उपर्युक्त आराजी खसरा नम्बर 1994 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 1943 रकबा 01 बीघा कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा में से 1/4 भाग का तर्कनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बाले बाले चुपके चुपके रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को विश्वास में लेकर बिना प्रतिफल के ही अपने नाम तर्कनामा करवा लिया जबकि उपर्युक्त खसरान की भूमि में अपीलांट का हक व हिस्सा निहित है और इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने गलत तथ्यों के आधार पर गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को धोखे में लेते हुए विश्वास में लेते हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के साथ मात्र काका का रिश्ता होने का नाजायज रूप से फायदा उठाते हुए गलत व गैर कानूनी तरीके से तर्कनामा करवा लिया और उपर्युक्त खसरान की भूमि का गलत नामान्तरण अपने नाम करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कम पढा लिखा है और काफी वृद्ध आदमी है, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 वृद्धावस्था पेंशन योजना के कागजात बनाने की बात कहकर अपीलांट संख्या 01 मेडता लेकर आया और गैर कानूनी तरीके से तर्कनामा करवा लिया था जो गलत व गैर कानूनी है। अपीलांट संख्या 1 तर्कनामा का नामान्तरण भरा गया उस वक्त पुलिस अधिकारी के रूप में पदस्थापित था इसलिए दबाव में राजस्व कर्मचारियों व सरपंच से गलत नामान्तरण भरवा लिया है, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की एक मात्र वारिस इकलोती पुत्री है इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सम्पूर्ण जमीन, जायदाद को हडप करने की नियत से षडयंत्र रचकर के दस्तावेजो की कूटरचना करके गलत नामान्तरण के आधार पर खातेदारी दर्ज करवा ली है जो गलत है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने धोखाधडी करके बाले–बाले, चुपके–चुपके अपीलांट के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का उपर्युक्त खसरान की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई हक व अधिकार नहीं है। नामान्तरण संख्या 2349 दिनांक 10.01.2007 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने राजस्व शिविर का गलत फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारियों व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 पर दबाव बनाकर स्वीकृत करवा लिया है जो गैर कानूनी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने राजस्व कर्मचारियों व तहसीलदार मेडता से मिलावट करके राजस्व शिविर से मिलीभगत करके राजस्व रेकर्ड में फर्जी नामान्तरण के द्वारा अपने नाम दर्ज करवा ली तथा खाता भी सेपरेट करवा लिया जबकि मौके पर अभी भी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अपने–अपने हिस्से पर काश्त व काबिज है तथा अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलांट की भूमि का बेचान करने पर आमादा है तथा अपीलांट को उसके हक हिस्से से लाभ लेने पर बेदखल करने पर आमादा है तथा अपीलांट के काश्त, कब्जा में दखल–दाज करने पर आमादा हो रखे है, का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील की अपील स्वीकार फरमाई जाकर म्युटेशन संख्या 2349 दिनांक 10.01.2007 तहसीलदार मेडता द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2010(1) पेज 509 से 515, आर.आर.टी.2013(1) पेज 447 से 452 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:03 IST
Reason: Attested

वकील रेस्पोडेन्ट श्री बाबुलाल खोजा ने बहस में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री श्यामकुमार व्यास ने बहस में कथन किया कि नामान्तरकरण जैर अपील पंजीबद्ध तर्कनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। नामान्तरकरण के जरिये किसी को भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांट द्वारा तर्कनामा धोखे से करवाये जाने को लेकर जो कथन किया है वह पूर्णतया गलत है। उक्त तर्कनामा दिनांक 02.11.2006 को निस्पादित किया गया है, जिसे निस्पादित किये करीबन 14 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त तर्कनामा को निरस्त करवाने के संबंध में किसी भी न्यायालय आदि के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं करने का कथन करते हुए अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया ने बहस में कथन किया कि नामान्तरकरण जैर अपील पंजीबद्ध तर्कनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जो सही होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में म्युटेशन जैर अपील दिनांक 10.01.2007 के अनुसार उक्त म्युटेशन रजिस्टर्ड तर्कनामा दिनांक 02.11.2006 के आधार पर तर्कनामा अनुसार 5 बीघा 01 बिस्वा भूमि मे से हरदेवराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा त्याग करने से पटवारी गोटन द्वारा नामान्तरकरण भरा गया, जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक, गोटन द्वारा खतौनी व तर्कनामा अनुसार इन्द्राज सही होने की रिपोर्ट की गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेडता द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 10.01.2007 को स्वीकृत किया गया है, जो पंजीबद्ध तर्कनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। विधिवत पंजीबद्ध दस्तावेज की वैद्यता आदि पर विचार करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय एंव न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसेडिंग है जिससे किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार प्रोधभूत नहीं होते है। जहां तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को धोखे व विश्वास में लेकर गलत रूप से तर्कनामा करवा लिये जाने का वकील अपीलांट का कथन है तो उक्त संबंध में अपीलांट को उक्त तर्कनामा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। इस प्रकार विधिवत पंजीबद्ध तर्कनामा के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल नामान्तरकरण लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:30:03 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर